

प्रारूप क्रमांक 1  
(नियम 3 देखिये)

**समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र**

1 सोसायटी का नाम – .....होगा।  
2 सोसायटी का प्रधान कार्यालय ..... तहसील .....जिला .....  
..... में स्थित होगा।

3 सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:–  
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)

4 समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध \*शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है:–

क्र. (1)	नाम पिता / पति का नाम (2)	पद (3)	पूर्ण पता (4)	धन्धा (5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

5 समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम व पते नीचे लिखे गये हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाए अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं:–

क्रमांक (1)	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता / पति का नाम सहित (2)	हस्ताक्षर (3)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

\*जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

साक्षी

हस्ताक्षर .....  
नाम— .....  
पूर्ण पता— .....